FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0299 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/12/2024 14:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 17/12/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:45 बजे **Time To (समय तक):** 16:19 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/12/2024 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/12/2024 14:12:34 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 520 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** BHARATA-CHAAYA SINTEX ROAD, AAROPI KA KIRAYE KA MAKAN, DUNGARPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARENDRA KUMAR TELEE

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHGAWAN LAL TELEE

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOAN GHASAKHERI, GHASA/MAVLI, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOAN GHASAKHERI, GHASA/MAVLI, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANIL KACHHAWA		पिता:ARJUN SINGH KACHHAWA	1. 1-K-16,POST OFFICE KE PASS,MAHAVEER NAGAR-3,KOTA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाकिया मामला इस प्रकार हैं कि दिनांक 09-12-2024 समय 10.52 ए.एम. पर श्रीमान् उपमहानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर द्वारा जरिये वॉट्सअप मैसेज कर निर्देशित किया कि ब्यूरो के टोलफ्री नम्बर 1064 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि मैने पीएचईडी विभाग डूंगरपुर में पाईप लाईन बिछाने काम किया था। जिसका कुल बिल 2,00,00,000 रूपये बना जिसको पास करने की एवज में पीएचईडी विभाग डूंगरपुर के अधीक्षण अभियंता मेरे से 7,00,000 रूपये रिश्वत मांग रहे हैं। परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करें। जिस पर परिवादी द्वारा 1064 पर जिस नम्बर से शिकायत दर्ज कराई गई। उक्त मोबाईल नम[redacted]र मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा समय करीब 11.00 एएम पर जरिये मोबाईल सम्पर्क कर परिवादी को बताया कि आपने 1064 पर रिश्वत् राशि मांगने की शिकायत दर्ज करवाई हैं। उक्त शिकायत पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मन् पुलिस उप अधीक्षक एसीबी चौकी, डूंगरपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं। आप एसीबी चौकी डूंगरपुर पर उपस्थित होकर विस्तृत हालात बतावें। जिस पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि मैं अभी मावली कोर्ट में हूं। कोर्ट की पेशी के बाद मावली से रवाना होकर आपके कार्यालय डूंगरपुर पर हाजिर होकर हालात बताउंगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनीयता बरतने एवं समय पर कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई। समय 02.45 पी.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली पुत्र श्री भगवान लाल तेली, उम्र 36 वर्ष, निवासी गांव घासाखेडी, पुलिस थाना घासा, तहसील घासा(मावली), जिला उदयपुर पेशा नोकरी एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली पुत्र श्री शंकरलाल तेली, उम्र 35 वर्ष, जाति तेली, निवासी गांव वापडा तहसील देलवाडा जिला राजसमंद ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर में उपस्थित होकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली द्वारा एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् पुलिस उप अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि मैं नरेन्द्र कुमार तेली पुत्र श्री भगवान लाल तेली उम्र 36 वर्ष पेषा नोकरी निवासी घासाखेडी थाना घासा तहसील घासा (मावली) जिला उदयपुर का निवासी हूँ। मैं सुरेचा कंस्ट्रक्शन में सुपरवाईजर होकर साबला ब्लोक का काम देखता हूँ। सुरेचा कंस्ट्रक्शन ने वर्ष 2021-22 में जलदाय विभाग के JJM के तहत ब्लोक साबला के विभिन्न गांवो में कार्य जैसे उच्च जलाशय, खुला कुआ निर्माण, पाईप लाईन बिछाना आदि का कार्य किया था। उक्त कार्या के करीब 2.50 करोड रूपयो के बिलो को तैयार करके भुगतान हेतु अधीशाषी अभियन्ता PHED विभाग खण्ड डूंगरपुर में पेश किये गये थे, जो करीब 2 वर्ष का समय पूरा होने के बावजुद भी बिलों का भुगतान आज तक नहीं हुआ हैं। मैं कई बार PHED विभाग खण्ड डूंगरपुर में जाकर मिला लेकिन बार-बार कहा जाता कि अभी तक आपके बिलो पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपनी टिप्पणी नही की गई हैं, फाईल साहब के टेबल पर हैं। करीब 3-4 दिन पहले मैं व श्री डूंगरलाल तेली PHED विभाग वृत्त डूंगरपुर के कार्यालय में जाकर श्री अनिल कच्छवाह अधीक्षण अभियन्ता से मिले और मैंने बताया कि सुरेचा कंस्ट्रक्शन ने वर्ष 2021-22 मे ब्लोक साबला के विभिन्न गांवो में JJM योजना के तहत विभिन्न कार्य किये गये थे। उक्त सभी कार्यो का एम. बी. बुक के अनुसार निरीक्षण सम्बधित अधिकारीयों से करवा दिया गया हैं। जिनके बिल करीब 2.50 करोड रूपये के मैंने PHED विभाग खण्ड डूंगरपुर मे पेश किये गये हैं। जिनका भुगतान अभी तक नही हुआ हैं। जिस पर श्री अनिल कच्छवाह जी ने कहा कि ये सभी कार्य मेरे यहॉं पोस्टींग होने के पहले के हैं। सभी कार्य MB बुक के अनुसार हुये के नहीं हुये हैं। एक बार सभी कार्यो का निरीक्षण करना पडेगा। जिस पर मैंने कहाँ कि निरीक्षण MB बुक के अनुसार आप वह आपके द्वारा गठीत की गई QC टिम से भी सभी कार्य का निरीक्षण करवा दिया गया हैं। आप द्वारा भी साईट विजिट कर निरीक्षण किया गया हैं। जिसे श्री अनिल कच्छवाह ने कहा कि निरीक्षण किया हो तो ठिक फिर भी मैं एक बार MB बुक के अनुसार सभी कार्य का रेण्डमली निरीक्षण करने के बाद ही बिलों पर टिप्पणी करूंगा। जिस पर मैंने कहा कि ठिक हे सर जेसी आपकी मर्जी करो। थोडी देर में ही श्री अनिल कच्छवाह जी ने कहा कि आप द्वारा किये गये कार्य की रेण्डमली निरीक्षण नहीं कर आप द्वारा पेश किये गये करीब 2.50 करोड रूपये के पेण्डिंग बिलों पर मेरी टिप्पणी करने की एवज में 5 लाख रूपये लूंगा। मैं तुम्हारे फर्म के सभी बिल फाईनल कर दूंगा। इस प्रकार सुरेचा कन्ट्रक्शन द्वारा वर्ष 2021-22 में JJM योजना में PHED विभाग द्वारा के वर्क ऑडर से साबला ब्लोक में विभिन्न कार्य किये गये थे। जिनके करीब 2.50 करोड रूपये के बिलों के भुगतान करने हेतु श्री अनिल कच्छवाह अधीक्षण अभियन्ता PHED विभाग वृत्त डूंगरपुर द्वारा अपनी टिप्पणी करने कि एवंज में 5,00,000 रूपये की रिश्वत राशी की मांग रहा हैं। मैं अनिल कच्छवाह अधीक्षण अभियन्ता PHED विभाग वृत्त डूंगरपुर को रिश्वत राशी नहीं देना चाहता हूँ।

मैं रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूँ। मेरी अनिल कच्छवाह जी से पुरानी कोई दुश्मनी नहीं हैं, न ही कोई लेन-देन बाकी हैं। सुरेचा कंस्ट्रक्शन के मालिक श्री लच्छीराम जी सुरेचा निवासी प्रकाशपुरा तहसील घासा(मावली), जिला उदयपुर हैं, जो मेरे भुआजी के बेटे भाई लगते हैं। उनके कहे अनुसार ही मैं यह रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ मेरे साथ श्री डूंगरलाल पुत्र श्री शंकर लाल तेली निवासी वापडा तहसील देलवाडा जिला राजसमंद भी आये हैं, जो कार्यवाही के दौरान मेरे साथ रहेंगे। अत श्रीमानजी से निवेदन हैं कि उचित कार्यवाही करवाने का श्रम करावें प्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार तेली द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो मामला रिश्वत राशि की मांग करने का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं श्री डूंगरलाल तेली को रिश्वत राशि मांग वार्ता करने हेतु कहा गया। परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली ने कहा कि मैने पीएचईडी विभाग डूंगरपुर में फोन कर पता किया तो श्री अनिल कच्छवाह अधीक्षण अभियंता अभी अपने कार्यालय में ही हाजिर हैं। परिवादी ने बताया कि श्री अनिलजी बहोत ही चालाक एवं होशियार हैं, रूपये लेने की बात ईशारों में ही करते हैं, बोलते कम हैं। मेरी अभी श्री अनिलजी अधीक्षण अभियंता से उनके कार्यालय में बात हो सकती हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पदस्थापित श्री बाबूलाल कान्सटेबल नं. 393 को मेरे कक्ष में बुलाया गया तथा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली का कानि. श्री बाबूलाल का आपस में परिचय कराया गया। श्री बाबुलाल कानि. से कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर व नया खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश की गई तत्पश्चात् रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं कानि श्री बाबुलाल को एक दूसरे के मोबाईल नम्बर आपस में दिये गये। समय 04.05 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली एवं कानि. श्री बाबुलाल को मय डिजिटल टेप रिकोर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड के परिवादी की निजी कार से श्री अनिल कच्छवाह अधीक्षण अभियंता से मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर की तरफ रवाना किये गये। समय 06.15 पी.एम. पर श्री बाबुलाल कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुए और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए श्री बाबुलाल कानि. ने बताया कि मैं व परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर के पास पंहुच समय करीब 04.12 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली को मेरे द्वारा पुन डिजिटल वाईस रिकॉर्डर की संचालन की विधि को समझा कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड लगा हुआ को चालू कर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली को दिया जाकर मय सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली के कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर की तरफ रवाना किया गया। मैं भी वहां से रवाना होकर कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा रहा। समय करीब 06.00 पी.एम. पर परिवादी एवं सहपरिवादी वापस मेरे पास आये तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बन्द कर मेरे पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने मुझे बताया कि मैं मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय सहपरिवादी श्री डूंगरलाल के कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर पर गये और श्री अनिल कच्छवाह जी अधीक्षण अभियंता से मिले और मैंने बताया कि साहब हम दोनों परेशान हो रहे हैं। वर्ष 2021-22 के साबला ब्लॉक के JJM योजना के करीब ढाई-तीन करोड के बिल पेण्डिंग हैं। जिस पर श्री अनिल कच्छावाह जी ने बताया कि अब तक आपने कितना कार्य चैक करवा दिया हैं। मैने कहा कि तीनों-चारों कार्य चैक करवा दिये हैं। जिस पर उन्होने कहा कि चलो देखते हैं। एमबी से चैक होता हैं, ऐसे चैक नहीं होता हैं मेरे भाई, कहाँ कितनी लाईन डाली, कहाँ कितनी ले रखी हैं, कितने का बिल बना रखा हैं। शिड्यूल में हैं सब चैक होगा, देखना तो पडेगा ना, नक़्शे में है या नहीं, आपने एमबी भरी हैं नक्शे में देखना पडेगा। सर्कुलर आया था। किसको भेजा था मैंने कहाँ कितनी रिकवरी होगी, अब तुम बताओ ऐसा कोई सर्कुलर आया हैं क्या। जिस पर मैंने कहा कि साहब मेरा तो हाथ जोडकर निवेदन हैं कि ईधर साबला का जो हमारे लिये आज्ञा हो कर दो कल ही व्यवस्था कर दूंगा। जिस श्री अनिल कच्छवाहजी ने कहा कि आज्ञा वाज्ञा क्या करे, देखने तो दो बिना टीपीआई वालों में क्या-क्या किया हैं। हेण्डपम्प वालों में बी क्लास पाईप करना चाहिये वहाँ ए-क्लास पाईप लगा रखा हैं। बोर की डेफ्थ 80 मीटर की जगह 280 मीटर पाईप ले रखा हैं, जो साला जिन्दा मक्खी निगलने वाली बात हैं। बोर ही अस्सी फीट का हैं। साला 90 फीट का जिसमें 280 का पीएन एट कर रखा हैं। उसमें पीएन एट प्रेशर वाला पाईप हैण्डपम्प जो स्कुलों में लगा रखे है ना ऐसे-ऐसे काम कर रखे हैं। क्यू उसमें फाईनल करे बिना डीपीआर वालों ने कुछ देखा ही नहीं। जिस पर मैंने कहा कि आप आज्ञा करो तो फिर इनमें से भी आप जैसे कहे इनको भी देखना हो तो और दिखा देंगे। कोई दिक्कत नहीं हैं। थोडी देर बाद श्री अनिल कच्छावाहजी ने स्वयं के मोबाईल की स्क्रीन पर 3,00,000 रूपये लिख कर मुझे मोबाईल दिखाते हुए कहा कि ये करवा देना। जिस पर मैंने कहा कि तीन लाख टोटल फाईनल तो उन्होने कहा कि हाँ और क्या, तो फिर मैंने थोडा बहोत राहत की बात कही तो उन्होने कहा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि इफ एण्ड बट मत करना, जो भी अभी जिस कन्डीशन में जो भी करवाना हैं वो भी फाईनल ले आ, फिर दुबार ये नहीं कि मैं वापस ले के बिल ये करवा लू वो करवा लू। फिर मैंने कहा कि फाईनल तो फाईनल ही करने

पडेंगे सर। तत्श्चात परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल को इस बारे में पूछा गया तो उसने श्री बाबुलाल कानि. के द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। उसके बाद श्री बाबुलाल कानि. द्वारा पेश किया गया डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। तत्पश्चात उच्चाधिकारियों को विस्तृत हालात निवेदन किये गये तो मन् पुलिस उप अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि संदिग्ध द्वारा स्पष्ट रिश्वत् राशि की मांग नहीं की गई हैं। एक बार पुन मांग सत्यापन करवाया जाना उचित रहेगा जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली मय सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जाकर निर्देशित किया गया कि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नहीं होने से एक बार पुन संदिग्ध से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की जानी आवश्यक हैं। आप दिनांक 10.12.2024 को ब्यूरो कार्यालय में समय 10.00 एएम पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर समय करीब 09.45 पीएम पर रवाना किये गये। दिनांक 10-12-2024 समय 10.50 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं सह परिवादी डूंगर लाल तेली कार्यालय में उपस्थित हुए। समय करीब 10.59 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबुलाल से मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली से संदिग्ध श्री अनिल कच्छवाह् की लोकेशन जानने हेतु श्री कौशल कलाल सहायक अभियंता के मोबाईल नं.[redacted]पर वार्ता कराई गई। जिस पर श्री कौशल कलाल ने बताया कि यहाँ आकर साहब से मिल लो एक बार। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। समय 01.15 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुपुर्द कर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को परिवादी की निजी कार से एवं श्री बाबुलाल कानि. को निजी मोटरसाईकिल से कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर की तरफ मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किये गये। समय 04.40 पी.एम. पर श्री बाबुलाल कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुए और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए श्री बाबुलाल कानि. ने बताया कि मैं व परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर जलदाय विभाग डूंगरपुर के पास पंहुच, संदिग्ध एवं परिवादी के बीच रूबरू वार्ता कराने हेतु संदिग्ध के कार्यालय पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली को भेजा, थोडी देर बाद ही परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली मेरे पास वापस आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बंद कर सुरक्षित मेरे पास रख लिया। परिवादी नरेन्द्रकुमार तेली ने मुझे बताया कि मैं श्री अनिलजी के कार्यालय में गया जहां पर श्री अनिलजी कार्यालय में नहीं मिले, जिस पर मैंने पता किया तो ज्ञात आया कि श्री अनिलजी खाना खाने गये हुए हैं। जिस पर हम श्री अनिल कच्छवाह् के इन्तजार में कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर के आस-पास ही मुकीम रहें। समय करीब 02.40 पीएम पर मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर शुरू कर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली को सुपुर्द कर श्री अनिल कच्छवाह् से मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली मेरे पास वापस आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बंद कर सुरक्षित मेरे पास रख लिया। परिवादी नरेन्द्रकुमार तेली ने मुझे बताया कि मैं श्री अनिलजी के कार्यालय में गया जहां पर श्री अनिलजी कार्यालय में बैठे हुये है। परन्तु उनके पास कोई अन्य ठेकेदार बैठा हुआ है जिससे मेरी उनसे वार्ता नही हो सकती है। इस कारण में वापस आ गया। समय करीब 03.14 पीएम पर मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पुन शुरू कर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली को सुपुर्द कर श्री अनिल कच्छवाह् से मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया व मैं उसके इन्तजार में वही मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली मेरे पास वापस आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बंद कर सुरक्षित मेरे पास रख लिया। परिवादी नरेन्द्रकुमार तेली ने मुझे बताया कि श्री अनिलजी कार्यालय में नही है कही गये हुये हैं, जो कुछ समय बाद वापस आयेंगे। जिस पर हम श्री अनिल कच्छवाह् के इन्तजार में कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर के आस-पास ही मुकीम रहें। समय करीब 04.00 पीएम पर मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पुन शुरू कर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली को सुपुर्द कर श्री अनिल कच्छवाह से मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया व मैं उसके इन्तजार में वही मुकिम रहा। समय करीब 04.26 पी.एम परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली मेरे पास वापस आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बंद कर सुरक्षित मेरे पास रख लिया। परिवादी नरेन्द्रकुमार तेली ने मुझे बताया कि मैं श्री अनिलजी के कार्यालय में जहां अनिलजी से मेरी रूबरू बात हुई तो अनिल जी ने मुझे कहा कि अब कायके लिये आये हो भाई, जिस पर मैने कहा कि सर मेरी गाडी खराब हो गई थी, तो अनिलजी ने कहा कि हम फालतू थोडी है कि तुम्हारे काम के लिए बैठे रहेंगे । सर साईड दिखाने के लिये तो हाजिर हूँ मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हैं सर साईड का, तो अनिलजी ने बताया कि जब टाईम होगा तब बता देंगे आपको। जिस पर मैने कहा कि सर अभी कब हाजिर होउ मैं, तो अनिलजी कहा कि जब टाईम होगा बता देंगे हम। परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने कानि. श्री बाबुलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो कानि. श्री बाबुलाल एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। आईन्दा पुन मांग सत्यापन वार्ता करवाई जायेगी। समय करीब 05.44 पीएम पर मन् पुलिस उप

अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली से उसके मोबाईल नं.[redacted]से श्री कौशल कलाल सहायक अभियंता के मोबाईल नं.[redacted]पर वार्ता करवाई गई तो श्री कौशल कलाल सहायक अभियंता ने परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली को कार्यालय के स्टोर के पास मिलने हेतु बुलाया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की निजी कार एवं श्री बाबुलाल कानि. को निजी मोटरसाईकिल से कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर की तरफ पुन रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किये गये। समय 06.25 पी.एम. पर श्री बाबुलाल कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुए और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए श्री बाबुलाल कानि. ने बताया कि मैं व परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर के स्टोर के पास पंहुच श्री कौशल कलाल से मिलकर मैने उनको बोला कि मेरा काम साहब कब तक करेंगे। जिस पर श्री कौशल कलाल ने कहा कि आपके द्वारा किये गये कार्या की साईड को देख कर ही काम करेंगे। आप साहब को साईड दिखा दो। जिस पर मैने कहा कि साईड तो साहब कहेंगे जब ही दिखा दूगा। जिस पर कौशल कलाल ने बताया कि श्री अनिलजी साहब से बात करो तो वॉट्सअप कॉल ही करना, साधारण कॉल पर बात नहीं करते हैं। थोडी देर बाद दो बार परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली के मोबाईल नं.[redacted]से श्री अनिल कच्छवाह के मोबाईल नं[redacted]र वॉट्सअप कॉल करवाया लेकिन श्री अनिल कच्छवाह ने कॉल रिसीव नहीं किया। आईन्दा पुन मांग सत्यापन वार्ता करवाई जावेगी। डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री बाबुलाल कानि. से मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 11.12.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को रवाना किया गया। दिनांक 11-12-2024 समय 10.00 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं सह परिवादी डूंगरलाल तेली कार्यालय में उपस्थित हुए। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबुलाल से मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली परिवादी की निजी कार से एवं श्री बाबुलाल कानि. को सरकारी मोटर साईकिल से कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर की तरफ मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किये गये। समय 10.40 पी.एम. पर श्री बाबुलाल कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुए और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए श्री बाबुलाल कानि. ने बताया कि मैं व परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर जलदाय विभाग डूंगरपुर के पास पंहुच, संदिग्ध एवं परिवादी के बीच रूबरू वार्ता संदिग्ध के कार्यालय पर हुई जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई हैं। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं यहाँ से रवाना होकर श्री अनिल कच्छवाह के कार्यालय पर पहुंचा जहाँ पर मैं श्री अनिल कच्छवाह जी से मिला तो श्री अनिल कच्छवाह जी ने बताया कि ब्लॉक साबला में आपके द्वारा किये गये कार्यो का निरीक्षण मौके पर जाकर करना पडेगा। अभी मैं कलेक्ट्री में मिटिंग में जा रहा हूँ। मिटिंग से फ्री होकर मौके पर निरीक्षण करने हेतु चलेंगे। परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने कानि. श्री बाबुलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो कानि. श्री बाबुलाल एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। आईन्दा पुन मांग सत्यापन किया जावेगा। समय 11.38 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली को सुपुर्द कर सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को परिवादी की निजी कार से एवं श्री बाबुलाल कानि. को सरकारी मोटर साईकिल से कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर की तरफ मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किये गये। समय 12.30 पी.एम. पर श्री बाबुलाल कानि. कार्यालय में उपस्थित हुआ एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली तथा सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर के पास पहुंचे। मैं कार्यालय के पास में खडा रहा, परिवादी नरेन्द्रकुमार तेली को जलदाय विभाग के कार्यालय में मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। थोडी देर बाद सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली का मेरे मोबाईल पर फोन आया और बताया कि श्री अनिल जी कच्छवाह साहब और उनकी टीम कार्यो का निरीक्षण करने हेतु आसपुर की तरफ जा रहे हैं। मैं व परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली हमारी निजी कार से आसपुर जा रहे हैं। हम नया बस स्टेण्ड पर रूकेंग जहां पर आप आकर मिलों। जिस पर मैं कार्यालय जलदाय विभाग के पास से निजी मोटर साईकिल रवाना होकर नया बस स्टेण्ड डूंगरपुर पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली सहपरिवादी डूंगरलाल तेली उपस्थित मिले। परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने बताया कि हम श्री अनिलजी कच्छवाह साहब को हमारे द्वारा किये गये कार्यो का मौके पर जाकर निरीक्षण करवाने हेतु आसपुर की तरफ जा रहे हैं। वहां पर मेरी श्री अनिल जी कच्छवाह से रिश्वत् राशि मांग की वार्ता हो सकती हैं। आप हमारे साथ या पिछे-पिछे गांवों में आओगे तो गोपनीयता भंग हो सकती हैं। मेरे द्वारा परिवादी को आसपुर से वापस डूंगरपुर आने पर ब्यूरो कार्यालय मय रिकॉर्डर के उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रिकॉर्डर की सुरक्षा की हिदायत देकर परिवादी एवं

सहपरिवादी को उनकी निजी कार से आसपुर की तरफ रवाना किया गया। समय 06.05 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए। मन् पुलिस उप अधीक्षक को परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द किया गया एवं बताया कि मैं एवं श्री डूंगरलाल तेली मेरी निजी कार से श्री अनिल कच्छवाह जी एवं उनकी टीम को आसपुर में हमारे द्वारा कराये गये कार्यो के निरीक्षण कराने हेतु आसपुर गये। आसपुर पहुंच हमारे द्वारा किये गये कार्यो का श्री अनिल कच्छवाह जी एवं उनकी टीम को निरीक्षण कराया गया। इस दौरान श्री अनिल कच्छवाह जी से मेरी सिर्फ कार्यो से संबंधित ही बात हुई लेकिन रिश्वत राशि मांग संबंधित कोई वार्ता नहीं हुई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। आईन्दा पुन मांग सत्यापन किया जावेगा। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 12.12.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को रवाना किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री बाबुलाल कानि. से मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 12-12-2024 समय 10.05 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं सह परिवादी डूंगरलाल तेली कार्यालय में उपस्थित हुए। समय करीब 10.17 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबुलाल से मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली परिवादी की निजी कार से एवं श्री बाबुलाल कानि. को सरकारी मोटर साईकिल से कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर की तरफ मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किये गये। समय 12.50 पी.एम. पर श्री बाबुलाल कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुए और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए श्री बाबुलाल कानि. ने बताया कि मैं व परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर जलदाय विभाग डूंगरपुर के पास पंहुच, संदिग्ध एवं परिवादी के बीच रूबरू वार्ता संदिग्ध के कार्यालय पर हुई जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई हैं। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं यहॉ से रवाना होकर श्री अनिल कच्छवाह के कार्यालय पर पहुंचा जहॉ पर मैं श्री अनिल कच्छवाह जी से मिला तो श्री अनिल कच्छवाह जी ने मेरे द्वारा जेजेएम योजना के तहत साबला ब्लॉक में किये गये कार्या के बारे में ही बाते की लेकिन रिश्वत् लेनेदेन के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की हैं। पास ही खडे परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने कानि. श्री बाबुलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो कानि. श्री बाबुलाल एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। आईन्दा पुन मांग सत्यापन किया जावेगा। समय 01.08 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली को मांग सत्यापन वार्ता हेतु सुपुर्द कर सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को परिवादी की निजी कार से एवं श्री बाबुलाल कानि. को कार्यालय की मोटरसाईकिल से संदिग्ध श्री अनिल कच्छवाह के कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर की तरफ मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किये गये। समय 05.37 पी.एम. पर श्री बाबुलाल कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुए और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए श्री बाबुलाल कानि. ने बताया कि मैं व परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर जलदाय विभाग डूंगरपुर के पास पंहुच, संदिग्ध एवं परिवादी के बीच रूबरू वार्ता संदिग्ध के कार्यालय पर हुई जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई हैं। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं यहॉ से रवाना होकर श्री अनिल कच्छवाह के कार्यालय पर पहुंचा जहॉ पर मैं श्री अनिल कच्छवाह जी से मिला तो श्री अनिल कच्छवाह जी ने मेरे द्वारा जेजेएम योजना के तहत साबला ब्लॉक में किये गये कार्या के बारे में ही बाते की। मैने कहा कि एक लाख तो भले आज ही कहो तो आज ही दे देता हूँ। बाकी सोमवार मंगलवार को मिलेंगे। दो करोड चालीस लाख के आस पास बिल बाकी हैं। जिस पर श्री अनिल जी ने कहा कि मैने जो बता दिया वो बता दिया इसमें गुणभाग मत करना फिर मैने कहा नहीं सर गुणाभाग नहीं कर रहा हूँ, आपने बता दिया तो तैयार हूँ। आज एक लाख ही हैं। मतलब सोमवार मंगलवार को लाकर दे दूंगा। फिर अनिल जी ने कहा ये इसको दे देना शाम को जब आप आओं ना तब मैने कहा ठीक हैं उसके लिए तो फिर शाम को घर पर आउ, इसके लिए शाम को घर पर ही आउ, घर......घर पर देना हैं। परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने कानि. श्री बाबुलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो कानि. श्री बाबुलाल एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई।

जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुन मांग सत्यापन वार्ता हेतु कल दिनांक 13.12.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को रवाना किया गया। दिनांक 13-12-2024 समय 08.15 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली एवं सह परिवादी डूंगरलाल तेली कार्यालय में उपस्थित हुए। मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि सेठजी ने कहा हैं कि तीनों काम

के बिल फाईनल कर देते हैं तो 3 लाख कर देंगे। एक लाख पहले दे देते हैं और दो लाख रूपये काम होने के बाद में दे देंगे। इसलिये मैं 1,00,000 लेकर आया हूँ। जिस मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त नोटों को पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी 500-500 रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000/- रूपये पेश किये जिनके नम्बरों को नोट कर पुन परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार को संदिग्ध श्री अनिल कच्छवाह को देने के लिए सुपुर्द किये गये। उक्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है-

1 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1MA873730
2 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0BH045393
3 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HH361659
4 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HU731653
5 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3GM052746
6 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8TA277915
7 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2KE996940
8 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1AD029248
9 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0CQ850293
10 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4UR179888
11 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PM711513
12 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5KM486457
13 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2CH889462
14 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7QF180139
15 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2AA531708
16 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4FC829233
17 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6EW253479
18 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2UM413738
19 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9NL857427
20 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7WL736314
21 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1AS577271
22 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1MK412568
23 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9EM436477
24 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0NW989745
25 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4HH719141
26 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8GT384559
27 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2GA064903
28 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4FG463434
29 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6ER685177
30 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3ST311335
31 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6QB955325
32 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0FH371752
33 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8RD070148
34 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1HM445631
35 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9PE359173
36 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7NR419682
37 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5UM589099
38 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9TQ018077
39 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4RV397641
40 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8VE528587
41 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2LT050066
42 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2QK860661
43 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1KP052795
44 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9BU475141

45 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0TD612680
46 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7KM602977
47 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HM986527
48 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8QG841847
49 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5PL115180
50 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8KT124368
51 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0FG454453
52 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1SS750278
53 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6QM893583
54 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2VU455343
55 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2VU455345
56 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2VU455341
57 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2VU455342
58 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9EM861257
59 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9AG171253
60 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8ET864081
61 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8ET864919
62 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8ET864918
63 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HP255074
64 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7EC229297
65 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7FE330764
66 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0VC864004
67 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9TB346470
68 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9TB346471
69 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9TB346472
70 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9EK451763
71 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9TG232243
72 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8VA097726
73 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6WK516152
74 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4MT186320
75 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2FE251138
76 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9HC508324
77 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9QG286218
78 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6CF976918
79 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2DV778529
80 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8BV430604
81 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7MH516583
82 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HL807405
83 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8AG594938
84 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6EM948729
85 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1HN930139
86 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PS305065
87 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6DR478311
88 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9QL508473
89 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8RS479073
90 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3AQ399772
91 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0FH160495
92 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3CL892659

93 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9DT390051
94 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8FF910708
95 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2LL448913
96 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1LR158289
97 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1LR158384
98 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1LR158381
99 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2KB428709
100 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1MA873727
101 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HK369806
102 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4BM525553
103 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4TR525299
104 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2AN994826
105 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3CP318120
106 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1CF478071
107 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8GT008301
108 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7QL408188
109 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5GQ698139
110 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4UK202320
111 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4BM434143
112 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1UD746715
113 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6BW769602
114 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5VR909500
115 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1AA322118
116 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9CR766561
117 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2BG317356
118 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5CS695357
119 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0GP355850
120 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3WT611622
121 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6NU564705
122 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3AW530240
123 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0NK174433
124 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9CL839037
125 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4KD232210
126 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4VQ962029
127 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7FD730219
128 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5AW132374
129 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8EV003560
130 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3BL853206
131 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5SN026462
132 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3QN887795
133 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0BK343310
134 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3MS420311
135 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7CA584239
136 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4WS534080
137 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7SA764747
138 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8ED616502
139 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3UR378941
140 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7AF149929

141 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8PV929561
142 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8FT820502
143 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PR455592
144 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5BD840689
145 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5UL663991
146 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6NF942103
147 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6QD022812
148 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7HG394554
149 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3PP700621
150 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8ET858686
151 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8UN678990
152 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2AQ329360
153 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7GW745429
154 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6TR711033
155 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5FF397349
156 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8AF035282
157 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4AG863576
158 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6AN917213
159 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9TH540273
160 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5AK758606
161 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0LD482058
162 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1DM702453
163 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0AD586415
164 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2QM385455
165 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HL446660
166 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9RF416076
167 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HU395333
168 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6SF123031
169 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8VW048594
170 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3CW843425
171 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9PV404106
172 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5MG944302
173 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2EM968981
174 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0VS537243
175 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6NH587074
176 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5DV690641
177 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8PK153404
178 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1RT146173
179 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7CK564750
180 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9NB491310
181 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4GW396476
182 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2QH194292
183 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6QC083282
184 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8FF242158
185 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7VU531747
186 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4BE322688
187 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0AH167188
188 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3QE534988

189 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2GF314601
190 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7EM885458
191 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0GQ458818
192 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3KV438950
193 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5TW380316
194 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6CK877944
195 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7HK470366
196 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9WM111426
197 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HP980149
198 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8LK505094
199 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3KS606837
200 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3PH541432

समय 08.58 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबुलाल से मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली मांग सत्यापन वार्ता हेतु सुपुर्द कर सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को परिवादी की निजी कार से एवं श्री बाबुलाल कानि. को निजी मोटरसाईकिल से संदिग्ध श्री अनिल कच्छवाह के किराये के मकान सिन्टेक्स रोड डूंगरपुर की तरफ मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किये गये। समय 10.15 ए. एम. पर श्री बाबुलाल कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुए और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए श्री बाबुलाल कानि. ने बताया कि मैं व परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर संदिग्ध श्री अनिल कच्छवाह के किराये के मकान सिन्टेक्स रोड डूंगरपुर के पास पंहुच संदिग्ध एवं परिवादी के बीच रूबरू वार्ता संदिग्ध के किराये के मकान पर हुई जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की हैं। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं यहाँ से रवाना होकर संदिग्ध के किराये के मकान पर पहुंचा जहाँ पर मैं संदिग्ध श्री अनिल कच्छवाह जी से मिला और मैंने कहा कि सेठजी से बात हो गई हैं सेठजी ने कहा हैं कि तीनों फाईनल कर देते हैं तो 3 लाख कर देंगे, संदिग्ध ने कहा कि वो तो हो जायेंगे बाकी के उनके, तो मैने कहा कि उनके भी करेंगे। तो संदिग्ध ने कहा कि हा कब करोगे, जिस पर मैने कहा कि बिल का पेमेन्ट आते ही कर देंगे। जिस पर संदिग्ध ने कहा कि पैमेन्ट तो हो चुका हैं पहले, कितने हैं, तो मैने कहा कि एक लाख हैं, तो श्री अनिलजी ने एक लाख रूपये टेबल पर रखने का ईशारा किया, जिस पर मैने एक लाख रूपये टेबल पर रख दिये। पास ही खडे परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने कानि. श्री बाबुलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो कानि. श्री बाबुलाल एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अब तक के सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को अवगत कराये गये। जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली को बताया कि शेष 2,00,000/- रूपये व्यवस्था कर कब तक कार्यालय में उपस्थित हो जाओगे तो परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 17.12.2024 को कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा संदिगध श्री अनिल कच्छवाह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,00,000/- रूपये लेकर दिनांक 17.12.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को रवाना किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री बाबुलाल कानि. से मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 17-12-2024 समय 09.45 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्रीमान् मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर को गोपनीय कार्यवाही हेतु एक अराजपत्रित अधिकारी उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक 1351 दिनांक 17.12.2024 जारी किया एवं श्रीमान् मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला डूंगरपुर को गोपनीय कार्यवाही हेतु एक राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक 1352 दिनांक 17.12.2024 जारी किया एवं जरिये दूरभाष भी अवगत कराया गया। उक्त पत्रों की तामील हेतु कार्यालय के कानि. श्री महेश चन्द्र को रवाना किया गया। समय 10.25 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मनमोहन पिता श्री धुलाराम अहारी जाति मीणा, उम्र 33 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट तलैया पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति दोवडा जिला डूंगरपुर मो. नं. [redacted]व श्री फूलशंकर त्रिवेदी पिता श्री मणिलाल त्रिवेदी जाति त्रिवेदी, उम्र 54 वर्ष, निवासी शिवाजीनगर डूंगरपुर हाल उप प्राचार्य राजकीय महात्मा गांधी स्कुल देवल खास जिला डूंगरपुर मो.नं. [redacted]कार्यालय में उपस्थित हुए। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनों ने अपनी-अपनी सहमति मौखिक ही व्यक्त की गई। समय 11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व सहपरिवादी डूंगरलाल तेली दोनां ही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादी श्री

नरेन्द्रकुमार तेली बताया कि श्री अनिल कच्छवाह की मांग के मुताबिक रिश्वत में दी जाने वाली राशि दो लाख रूपये की व्यवस्था कर लाया हूँ। इसके पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री फूलशंकर त्रिवेदी उपप्राचार्य एवं श्री मनमोहन अहारी कनिष्ठ सहायक का मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की ओर से ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया । तत्पश्चात् परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.30 पी.एम. पर कानि. श्री बाबुलाल से कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखी डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी को मंगवाया जाकर दिनांक 09.12.2024 को समय 04.15 पीएम, दिनांक 10.12.2024 को समय 01.20 पीएम, 06.00 पीए, दिनांक 11.12.2024 को समय करीब 11.50 एएम, दिनांक 12.12.2024 को समय करीब 10.25 एएम, 01.15 पीएम एवं दिनांक 13.12.2024 को समय करीब 09.15 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं संदिग्ध श्री अनिल कच्छवाह अधीक्षण अभियंता के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताए जिसे परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की थी। डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर दोनों स्वतंत्र गवाहान को उक्त वार्ताओं के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा श्री अनिल कच्छावाह द्वारा रिश्वत राशि मांग करने की ताईद की गई। समय 01.15 पी.एम. पर गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली से संदिग्ध श्री अनिल कच्छावाह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने अपने पास से 500-500 रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है -

1 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0BA569929
2 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4QB957884
3 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2LW387381
4 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2EK079165
5 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3VE531737
6 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HL924280
7 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HS728297
8 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3TS643359
9 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7MU452400
10 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2BT873439
11 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4SC601386
12 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3SP469734
13 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0RT478019
14 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0FW751295
15 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2CH973130
16 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6VQ114538
17 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0RT613034
18 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3SS829772
19 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3AR752061
20 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2WD440342
21 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8KR276359
22 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9CL482416
23 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8WF939685
24 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2NW002516
25 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0MK462403
26 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5CQ844750
27 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5TL461330
28 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9AQ741693
29 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1GA164580
30 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2ES006648
31 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4HL644394

32 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7TV073273
33 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8RG561858
34 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2KW773190
35 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8HW490532
36 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5AH781973
37 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7RA268150
38 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4GG104713
39 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0DT471840
40 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0CD753687
41 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1FM405005
42 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3RE229062
43 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4EG384693
44 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8EV379269
45 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1KU035311
46 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5CU769417
47 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3VG571373
48 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6WA547188
49 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6LM192889
50 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9CP797490
51 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8SW624961
52 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3VA758257
53 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5PP366981
54 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4KV689502
55 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4FP713797
56 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HA774587
57 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5KA494676
58 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5CD708065
59 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0UH719363
60 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5EM275588
61 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3DT805786
62 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HL158756
63 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7MR907164
64 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HS320408
65 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7RR875758
66 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7VU980891
67 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4UM464316
68 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6WF682097
69 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8PW381830
70 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2UL622370
71 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5LE875135
72 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7ME137544
73 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3MH894803
74 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6FU927179
75 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5MA590114
76 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9BA303885
77 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9KC214570
78 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2LB707776
79 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6KW151735

80 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1AH308025
81 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8RS849970
82 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4VE187377
83 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2LL098659
84 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6BP054409
85 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4CP322422
86 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HL353343
87 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0GU938758
88 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6ND136466
89 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6ER246425
90 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1CD611803
91 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2AH780854
92 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0SS146761
93 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5FH271699
94 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0VV016431
95 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2CP367270
96 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3TV056286
97 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9EE540686
98 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7BW361040
99 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2CE985462
100 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4NS392895
101 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9CK534352
102 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0AH487804
103 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1SL282234
104 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1KB547036
105 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6DK259546
106 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2EV534406
107 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0MB222249
108 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6CL182819
109 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1WN120829
110 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8BG151815
111 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5ES905733
112 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6TE938964
113 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9AH371030
114 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HL159055
115 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0PQ930710
116 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HR023286
117 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6CL602322
118 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3FF254574
119 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6ER783921
120 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8VA323831
121 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9TG616514
122 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5FM286494
123 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4VL524444
124 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2FF560654
125 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HL892905
126 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6GH729930
127 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2TC178577

128 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5KF651617
129 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HK369790
130 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HF875663
131 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1HR198413
132 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3VA310894
133 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9ME105335
134 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1WT726594
135 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0RP698101
136 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0DF487648
137 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3RD403882
138 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PS431019
139 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6EK271981
140 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7HF224600
141 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3BF403369
142 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6CG750136
143 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1HG331461
144 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1WP364302
145 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3KU975653
146 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HH827017
147 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8CS417912
148 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1BD070148
149 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0TD909260
150 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9KA594275
151 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9PA098868
152 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6UE443727
153 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HE143848
154 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2QU776856
155 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1HT990262
156 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9CL465961
157 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6AF817219
158 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6QK792619
159 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5TG728950
160 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7ER157655
161 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6AN895177
162 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9MU951598
163 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2BH139461
164 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HS205486
165 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6BV774245
166 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4AA133514
167 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9GN810002
168 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3FK205124
169 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9BG987974
170 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5CQ021491
171 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2CH958587
172 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8DB020507
173 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7DV335562
174 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7ND341131
175 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8AS523232

176 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8DW593733
177 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3TH870111
178 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1FT585997
179 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9UC131745
180 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4CT451267
181 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3QP863683
182 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9UC468677
183 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3GM780319
184 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4DV260805
185 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4CP939776
186 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0QA227876
187 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3TW149610
188 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2ET635835
189 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6SL633109
190 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2CL850737
191 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7HP829305
192 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9UT622742
193 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9RB253587
194 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2CB002508
195 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6QQ231368
196 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0DM006790
197 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1TU517685
198 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6RP064051
199 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7VU871261
200 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3WB145000
201 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HF751649
202 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1GW986735
203 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HF751648
204 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9AA174201
205 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4CW988862
206 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9SQ003075
207 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1BS206678
208 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7CL660112
209 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2WA658021
210 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1BS020016
211 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3BK611429
212 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5NU040707
213 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7GL689050
214 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9AS151642
215 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6BB763202
216 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5FH786170
217 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3EU439130
218 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2UA396018
219 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9FR679795
220 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HN902982
221 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7EL861523
222 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0TU512976
223 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2UN597608

224 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0EB971076
225 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1HU952611
226 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2CC406027
227 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2GN702701
228 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8EN858468
229 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4KP496463
230 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6DN400660
231 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1FS358912
232 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2UU629516
233 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4HU471146
234 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HL337124
235 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PE108898
236 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PE195572
237 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7LA639783
238 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3UA803676
239 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HH716908
240 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8BQ462766
241 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9HH332310
242 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5ET936519
243 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6PR313144
244 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HV049947
245 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4WF101387
246 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1RE757321
247 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5CP884360
248 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3ES845042
249 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8GH682054
250 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4HL677399
251 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9TM607511
252 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5VG136954
253 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2MW438734
254 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2CP284679
255 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3RM740885
256 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7BD875831
257 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5EP159150
258 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8EC486946
259 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9ES525168
260 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7BQ713693
261 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9CW789886
262 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9CD226999
263 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1TD586077
264 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0LB725139
265 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6RB470513
266 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2AR998481
267 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3BB194118
268 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3NM809397
269 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2FH604095
270 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HS812300
271 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6FB125431

272 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5PT797021
273 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1WG929159
274 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5CC074928
275 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3QD443453
276 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4AM837113
277 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HL173953
278 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4FR270487
279 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3MG083464
280 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5KB947986
281 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7TC054411
282 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2AD494027
283 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4MM827050
284 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8MH203916
285 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1WE376798
286 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6AR649798
287 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0NW698283
288 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5ET678788
289 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9AB365779
290 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6BF876249
291 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HL233526
292 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HL233525
293 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HK928092
294 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9EM323324
295 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7FA579576
296 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8LS363105
297 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5FG072180
298 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8TS734790
299 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8SS886924
300 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2GQ634879
301 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6VF780999
302 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5GK536985
303 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1SF800195
304 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4EG174697
305 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7KT233272
306 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PS573520
307 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PS573519
308 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PS573518
309 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4KP801895
310 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HG956737
311 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7PS573517
312 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HL560443
313 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HL560439
314 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5CD133058
315 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1CL731627
316 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5CF975702
317 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6DD949308
318 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6FD828060
319 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8BS052494

320 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8HP734242
321 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5FAI305673
322 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4BW632456
323 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9QB376192
324 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9CS221567
325 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5UW877333
326 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9DR052452
327 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HV018305
328 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1FL506497
329 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2KU537562
330 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4KR005227
331 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HL187840
332 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0DU629878
333 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8LN090391
334 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7FC271881
335 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HH671780
336 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HU853282
337 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9GK374961
338 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9GK374960
339 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9GK374200
340 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5BK722123
341 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8AF867031
342 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HL593648
343 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2QA042396
344 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3RP367933
345 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9FG206115
346 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6AF376454
347 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8BV223197
348 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2KP802394
349 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3HM085216
350 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7BE882554
351 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3PV151330
352 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2AN975996
353 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8EE186705
354 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9WA936673
355 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4EH962255
356 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3CA983951
357 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8VH209806
358 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HV442028
359 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9PV201351
360 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5HF873419
361 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1PN905724
362 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2WS940484
363 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2AA536465
364 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3KD867643
365 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9KA568670
366 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9DA433008
367 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6KG474737

368 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0KP626018
369 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8RQ799970
370 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2BU704505
371 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8KE493131
372 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5QQ269127
373 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 4UA564830
374 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5DP910610
375 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7CN411235
376 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8SW559988
377 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8BG993121
378 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9AP646413
379 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8FK360570
380 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5FB699155
381 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9VK394225
382 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0BU393581
383 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8ME095077
384 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8LW998980
385 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1GS908138
386 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8EV085785
387 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9DL695813
388 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3CH735149
389 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7FP912315
390 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5GN560890
391 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0HU052780
392 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6GU371391
393 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2ET376236
394 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 6HQ693557
395 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 8TP335999
396 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2DD643214
397 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2DF594136
398 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7BN222633
399 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 9DW746860
400 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7KC437886

परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री अख्तर खान हैड कानि. नं. 05 से कार्यालय के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री अनिल कच्छावाह को देने के लिए परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली द्वारा पेश किये गये नोटां को श्री अख्तर खान हैड कानि. से ही परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की पहनी हुई जेकेट के अन्दर की तरफ बायी जेब में कोई शै नही छोड़ते हुए राजस्थान पत्रिका बांसवाडा के दिनांक 13 नवम्बर 2024 वार बुधवार के पेज नं. 13 के एक दो टुकडे में अलग-अलग दो बण्डल बनाकर दोनों बण्डलों के उपर लपेटे हुए अखबार पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अख्तर खान हैड कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेंगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री अख्तर खान हैड

कानि से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री अख्तर खान हैड कानि. से ही मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री अख्तर खान हैड कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई।

समय 02.03 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को उसकी निजी कार से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के जलदाय विभाग डूंगरपुर की ओर रवाना किया एवं पिछे-पिछे श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को निजी मोटरसाईकिल से, श्री जितेन्द्रकुमार कानि. एवं श्री दीपक पाटीदार कानि. को निजी मोटरसाईकिल से रवाना करते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री फूलशंकर त्रिवेदी सहायक प्राचार्य व श्री मनमोहन अहारी कनिष्ठ सहायक, श्री राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक, श्री करण सिंह एएसआई, श्री नारायण लाल अ.प्र.अ., श्री बाबूलाल कानि. एवं श्री महेशचन्द्र कानि. मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के जरिये सरकारी वाहन संख्या आर.जे.-14-यू.सी.-8793 से सभी ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर की तरफ रवाना हुए। समय 02.10 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों के जलदाय विभाग डूंगरपुर पहुंच अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडे कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे की इन्तजार में मुकीम हुए। समय 04.06 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली द्वारा जरिये मोबाईल से वॉट्सअप कॉल से मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी श्री अनिल कच्छवाह अधीशाषी अभियंता ने मुझे रूपये लेकर उसके किराये के मकान भ्रात-छाया सिन्टेक्स रोड, डूंगरपुर पर बुलाया हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को निर्देशित किया कि आप उनके घर पर पहुंचे हम आपके पिछे-पिछे आ रहे हैं। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों के अपने-अपने वाहनों से जलदाय विभाग डूंगरपुर से आरोपी के किराये का मकान सिन्टेक्स रोड, डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। समय 04.15 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों के आरोपी के किराये के मकान सिन्टेक्स रोड, डूंगरपुर पहुंच अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडे कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे की इन्तजार में मुकीम हुए। समय 04.19 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने आरोपी के किराये के मकान के निचे से पूर्व निर्धारित ईशारा जरिये मोबाईल से कॉल कर बताया कि आरोपी श्री अनिल कच्छवाह द्वारा रिश्वत् राशि 2,00,000/-रूपये मांग कर ले लिये हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता के परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक को दिया जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात परिवादी नरेन्द्रकुमार तेली ने अपनी निजी कार में पिछे की सीट पर बैठे हुए एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह ही श्री अनिल कच्छवाह हैं जिन्होने अभी थोडी देर पहले इनके किराये के मकान पर अपनी मांग के अनुसार 2,00,000/-रूपये मेरे से मांगे, जो मैने इनके कहे अनुसार इनके किराये के मकान पर पडी एक लकडी की टेबल पर रख दिये । जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग, डूंगरपुर होना बताते हुए घबरा गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को आरोपी का दाहिना हाथ एवं श्री महेश चन्द्र कानि. को आरोपी का बाया हाथ कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर उसी अवस्था में मौके से डिटेन कर उनके काले कलर के बैग के साथ आरोपी श्री अनिल कछवाहा के किराये के मकान भ्रात छाया के प्रथम तल पर ले गये। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी को बैठाकर पुन तसल्ली देते हुए उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अनिल कछवाहा पिता श्री अर्जुनसिंह कछवाहा जाति जीनगर, उम्र 57 वर्ष निवासी 1-के-16, पोस्ट ऑफीस के पास महावीर नगर-3, जिला कोटा हाल अधीक्षण अभियंता

जलदाय विभाग, डूंगरपुर होना बताया। उसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की ओर ईशारा करते हुए आरोपी श्री अनिल कछवाहा से पूछा कि आप इसको जानते हो तो आरोपी ने बताया कि हाँ जानता हूँ, क्या काम करते है, तो आरोपी ने बताया कि ठेकेदारी का काम करते हैं। आपने परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली से थोडी देर पहले 2,00,000/- रूपये लिये वो कहाँ रखे हैं। जिस पर आरोपी ने कहा कि मैने इनसे कोई रूपये नहीं लिये हैं। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने बताया कि आपने थोडी देर पहले मेरे से लिये हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी को अपना बैग खोलने के लिए कहा तो आरोपी ने अपना बैग खोलकर बताया तो उसमे रिश्वत राशि नहीं मिली तो मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी को तसल्ली पूर्वक रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी ने एक बंद कमरे की तरफ ईशारा कर बताया कि उसमें रखे हैं। जिस पर आरोपी से चांबी लेकर बंद कमरे को स्वतंत्र गवाहान श्री मनमोहन अहारी से खुलवाया जाकर कमरे में प्रवेश किया तो आरोपी ने कमरे के दीवार में बनी अलमारी की तरफ ईशारा कर बताया कि उसमें रखे हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री फूलशंकर से दीवार में बनी अलमारी की तलाशी लिवाई गई तो अलमारी की दराज में अखबार में लिपटे हुए दो पैकेट बरामद हुए। जिसमें 500-500 रूपये के चार बण्डल कुल 2,00,000/- रूपये रिश्वत् राशि थी। जिसको स्वतंत्र गवाह श्री फूलशंकर के पास ही सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात् अग्रिम प्रकियानुसार आरोपी श्री अनिल कछवाहा के दोनों हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकवाकर घर में पडे केम्पर में से पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अनिल कछवाहा के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से कराये जाकर मार्क RH.1 व RH.2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अनिल कछवाहा के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री वीर विक्रमसिंह कानि. से कराये जाकर मार्क LH.1 व LH.2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी द्वारा परिवादी को कमरे में पडे एक लकडी के टेबल पर रिश्वत् राशि रखने के लिए कहा, परिवादी ने बताया कि मैने उक्त टेबल पर पडी एलआइसी की डायरी व टेबल के उपर रिश्वत् राशि रख दी। उक्त डायरी एवं टेबल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें आरोपी के घर में पडे केम्पर में से साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त टेबल एवं डायरी पर गिली रूई को घुमाया जाकर उक्त तैयारशुदा घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग मटमेला हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क T.1 व T.2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनां गवाहान, परिवादी, आरोपी एवं संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

उक्त डायरी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा एक सफेद कपडे की थैली में रखवाई जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर थैली पर मार्क D अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी के किराये के मकान में दीवार में बनी अलमारी जिसकी दराज से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उक्त दराज का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें आरोपी के घर से साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त दराज के अन्दर गिली रूई को घुमाया जाकर उक्त तैयारशुदा घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क A.1 व A.2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनां गवाहान, परिवादी, आरोपी एवं संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात राजस्थान पत्रिका बांसवाडा के दिनांक 13 नवम्बर 2024 वार बुधवार के पेज नं. 13 के एक दो टुकडे जिसमें रिश्वत् राशि बरामद हुई थीं। उक्त अखबार के टुकडों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा अलग-अलग दो सफेद कपडे की थैली में रखवाये जाकर कपडे की दोनों थैलियां को अलग-अलग सिलचिट कर मार्क RT.1 एवं RT.2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी से पूछा कि आपने परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली से 2,00,000/-रूपये किस काम के बदले में लिये हैं। जिस पर आरोपी श्री अनिल कछवाहा ने बताया कि मैंने नरेन्द्रकुमार तेली से कोई पैसे नहीं लिये हैं। इन्होने मुझे दिये हैं। जिस पर पास ही खडे श्री नरेन्द्रकुमर तेली ने कहा कि अनिलजी झूठ बोल रहे हैं। मैंने वर्ष 2021-22 में सुरेचा कन्ट्रक्षन ने वर्ष 2021-22 में PHED विभाग के JJM योजना के तहत ब्लोक साबला के विभिन्न गांवो में कार्य जैसे उच्च जलाशय, खुला कुआ निर्माण, पाईप लाईन बिछाना आदि का कार्य किया था। उक्त कार्या के करीब 2.50 करोड रूपयां के बिलां को तैयार करके भुगतान

हेतु अधीशाषी अभियन्ता PHED विभाग खण्ड डूंगरपुर में पेश किये गये थे, जो करीब 2 वर्ष का समय पूरा होने के बावजुद भी बिलों का भुगतान आज तक नहीं हुआ हैं। उक्त बिलों को पास करने की एवज में मेरे से पहले 5,00,000/- रूपये मांगे एवं सत्यापन के दौरान 3,00,000 रूपये लेने हेतु सहमत होते हुए दिनांक 13.12.2024 को 1,00,000/- ले लिये एवं 2,00,000/- आज दिनांक 17.12.2024 को देने हेतु कहा था, जो अभी मैने श्री अनिल जी कछवाहा को दिये। तत्पश्चात आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता किराये के मकान में दीवारी में बनी अलमारी की दराज से बरामद रिश्वत् राशि को मौके पर गवाह श्री फूलशंकर के पास सुरक्षित रखवाई गई थी, को दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द में अंकित नम्बरों से मिलान करवाने पर नोटों के नम्बर हुबहू होना स्वीकार करते हुए 500-500 के 400 नोट कुल 2,00,000 /-रूपये भारतीय मुद्रा के होना बताया। उपरोक्त बरामद 2,00,000/- रूपये की रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से सिलचिट करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के पास एक मोबाईल जो वन प्लस कम्पनी का हो जिसमे एक सीम जीओ कम्पनी की जिस के नम्बर 9414303200 व पहनी हुई पेन्ट की जेब से 2320 रूपये मीले, जिन्हे सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग कानि. श्री बाबुलाल द्वारा उसके फोन से की गई। उक्त फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी श्री नारायण लाल अ.प्र.अ. द्वारा मेरे निर्देशानुसार टंकन कर तैयार की गई। समय 05.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एवं श्री करण सिंह एएसआई को आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता के कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डूंगरपुर की निगरानी हेतु श्री करण सिंह एएसआई की निजी कार से रवाना किये। समय 05.05 पीएम पर आरोपी श्री अनिल कछवाहा के रिहायशी किराये के मकान भ्रात छाया सिन्टेक्स रोड, डूंगरपुर की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक हैं। मौके पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री फूलशंकर त्रिवेदी एवं श्री मनमोहन अहारी के समक्ष आरोपी रिहायशी किराये के मकान भ्रात छाया सिन्टेक्स रोड, डूंगरपुर की खाना तलाशी मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ली गई। खाना तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली ना ही कोई वस्तु कब्जे ब्यूरो ली गई। फर्द खाना तलाशी अलग से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.10 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री अनिल कछवाहा, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनों से आरोपी के रिहायशी किराये के मकान भ्रात छाया सिन्टेक्स रोड, डूंगरपुर से आरोपी कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। समय 06.20 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों के एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री अनिल कछवाहा के जलदाय विभाग डूंगरपुर पहुंचे। जहां पर पूर्व में कार्यालय की निगरानी हेतु मामूरशुदा श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एवं श्री करण सिंह एएसआई उपस्थित मिले। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री मूलचंद रोत अधिशाषी अभियंता, श्री धर्मेन्द्र दोसी सहायक अभियंता एवं श्री कोशल सहायक अभियंता तलब कर अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में बलाये जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं उपस्थितिनों के समक्ष कार्यालय की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली ना ही कोई वस्तु कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सुरेचा कंस्ट्रक्शन ने वर्ष 2021-22 में PHED विभाग के JJM योजना के तहत ब्लोक साबला के विभिन्न गांवो में कार्य जैसे उच्च जलाशय, खुला कुआ निर्माण, पाईप लाईन बिछाना आदि का कार्य किया था । उक्त कार्यो से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध कराने बाबत् अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त डूंगरपुर को पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 17.12.2024 जारी किया जाकर निर्देशित किया गया कि पत्र में वर्णित समस्त रिकार्ड लेकर आज ही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होवे। समय 07.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री अनिल कछवाहा, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनों से कार्यालय जलदाय विभाग डूंगरपुर से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुए। समय 07.10 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री अनिल कछवाहा, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनों से कार्यालय जलदाय विभाग, डूंगरपुर से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की। श्री अनिस अहमद पुलिस उप अधीक्षक एसीबी कोटा द्वारा आरोपी श्री अनिल कछवाहा के रिहायशी मकान कोटा की खानातलाशी ली जायेगी। आरोपी अनिल कछवाहा को परिवादी द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार तेली द्वारा दिनांक 13.12.2024 को दोराने मांग सत्यापन 1,00,000 रूपये दिये गये थे, जो 500-500 रूपये के 200 नोट थे। उक्त नोटों के नम्बर परिवादी को नोट सुपुर्द करने से पहले सभी नोटों के नम्बर नोट कर रखे थे। उक्त नोटों के नम्बरो की पीडीएफ श्री अनिस अहमद पुलिस उप अधीक्षक एसीबी कोटा को नोटो की बरामदगी कर मिलान हेतु भेजी जावेगी। समय 07.20 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि ने दिनांक 09.12.2024 को समय करीब 04.12 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री अनिल कछवाहा के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर पृथक

से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री अनिल कछवाह् अधीक्षण अभियंता की होने की ताईद की। उक्त वार्ता में आरोपी श्री अनिल कछवाह् ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की होने की ताईद की। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अकब से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। समय 10.20 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली द्वारा दिनांक 13.12.2024 को दोराने मांग सत्यापन 1,00,000 रूपये आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता को दिये गये थे, जो 500-500 रूपये के 200 नोट थे। उक्त नोटों के नम्बर परिवादी को नोट सुपुर्द करने से पहले सभी नोटों के नम्बर नोट कर रखे थे। उक्त नोटों के नम्बरो की पीडीएफ श्री अनिस अहमद पुलिस उप अधीक्षक एसीबी कोटा को नोटो की बरामदगी कर मिलान हेतु भेजी गई। समय 10.30 पीएम पर पूर्व पाबन्दशुदा श्री मुलचन्द्र रोत पुत्र स्व. श्री रूपाजी रोत मीणा उम्र 54 वर्ष जाति मीणा निवासी बयोडा हिराता पुलिस थाना वरदा जिला डूंगरपुर हाल अधीषाषी अभियन्ता एवं तकनिकि सहायक वृत्त डूंगरपुर एवं अतिरिक्त प्रभार अधीषाषी अभियन्ता खण्ड डूंगरपुर कार्यालय में उपस्थित हुए एवं कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त डूंगरपुर के पत्रांक 1401 दिनांक 17.12.2024 से निविदा संख्या 175/2021-22 की एग्रीमेन्ट फाईल पेज 1 से 344, ड्रॉईंग फाईल पेज 1 से 74, खण्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्राचार पेज 1 से 38 एवं एमबी संख्या 2429, 2424,2423,2425 एवं 2427। निविदा संख्या 177/2021-22 की एग्रीमेन्ट फाईल पेज 1 से 198, खण्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्राचार पेज 1 से 24 एवं एमबी संख्या 2432, 2436, 2438, 2437, 2615, 2434 एवं 2433। निविदा संख्या 178/2021-22 दिनांक 16.12.2024 को प्राप्त की एग्रीमेन्ट फाईल पेज 1 से 202, ड्रॉईंग फाईल पेज 1 से 38, ऑल टेस्ट रिपोर्ट फाईल 1 से 119 तक, खण्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्राचार पेज 1 से 67 एवं एमबी संख्या 2426, 2435, 2428 एवं 2430 आदि रिकॉर्ड पेश किया जिनका अवलोकन किया जाकर शामील कार्यवाही किया गया। श्री मुलचन्द्र रोत ने बताया कि- 1. सुरेचा कंस्ट्रक्शन भुवाना उदयपुर के द्वारा वर्ष 2022 में गांव पाल निठाउवा ब्लॉक साबला के नाम निवेदा खोली थी जिस पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्र उदयपुर द्वारा दिनांक 05.05.2022 को सुरेचा कंस्ट्रक्शन के नाम से वर्क ओडर जारी किया गया जो 3.12 प्रतिशत से बिलो या कम हो कुल 4,02,64,506.55 रूपये का जारी किया गया जिसमे खुले कुऐ का निर्माण, पानी की टंकीया का निर्माण एवं पाईप लाईन, कुऐ पर मोटर लगाई जाकर टंकीयो तक पाईप लाईन से पानी पंहुचाना एवं टंकीयो से वितरण लाईन द्वारा घर घर पानी वितरण आदी कार्य आदेश जारी हुआ था। उक्त कार्य मेरी निगरानी मे सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा कराये गये एवं कार्य की मेपिगं कर मेपिंग पुस्तिका एवं कार्य के बिल मेरे समक्ष प्रस्तुत किये जिस पर 3864000, 4436311 6138143, 10715,434 जो कुल 2,73,41,183 का भुगतान हो गया था एवं 1,14,50,117.45 रूपये का भुगतान शेष था इसी दोरान सरकार द्वारा थ्रर्ड पार्टी निरीक्षण सरकार द्वारा आवशयक रूप से लागु कर दिया जिसकी वजह से भुगतान नहीं हो सका। 2. सुरेचा कंस्ट्रक्शन भुवाना उदयपुर के द्वारा वर्ष 2022 में गांव मियाला व टेकला ब्लॉक साबला के नाम निवेदा खोली थी जिस पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्र उदयपुर द्वारा दिनांक 12.05.2022 को सुरेचा कंस्ट्रक्शन के नाम से वर्क ओडर जारी किया गया जो 0.50 प्रतिशत से बिलो या कम हो कुल 2,99,72,296.61 रूपये का जारी किया गया जिसमे खुले कुऐ का निर्माण, पानी की टंकीया का निर्माण एवं पाईप लाईन, कुऐ पर मोटर लगाई जाकर टंकीयो तक पाईप लाईन से पानी पंहुचाना एवं टंकीयो से वितरण लाईन द्वारा घर घर पानी वितरण आदी कार्य आदेश जारी हुआ था। उक्त कार्य मेरी निगरानी मे सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा कराये गये एवं कार्य की मेपिगं कर मेपिंग पुस्तिका एवं कार्य के बिल मेरे समक्ष प्रस्तुत किये जिस पर 4028258, 3179174, 3003906, 3220000, 2723621, 3931972 जो कुल 2,17,87,292 का भुगतान हो गया था एवं 69,50,870 रूपये का भुगतान शेष था इसी दोरान सरकार द्वारा थ्रर्ड पार्टी निरीक्षण सरकार द्वारा आवशयक रूप से लागु कर दिया जिसकी वजह से भुगतान नही हो सका। 3. सुरेचा कंस्ट्रक्शन भुवाना उदयपुर के द्वारा वर्ष 2022 में गांव रिछा, मातलीया, माता फला ब्लॉक साबला के नाम निवेदा खोली थी जिस पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्र उदयपुर द्वारा दिनांक 13.05.2022 को सुरेचा कंस्ट्रक्शन के नाम से वर्क ओडर जारी किया गया जो 3.55 प्रतिशत से बिलो या कम हो कुल 2,92,35,770.16 रूपये का जारी किया गया जिसमे खुले कुऐ का निर्माण, पानी की टंकीया का निर्माण एवं पाईप लाईन, कुऐ पर मोटर लगाई जाकर टंकीयो तक पाईप लाईन से पानी पंहुचाना एवं टंकीयो से वितरण लाईन द्वारा घर घर पानी वितरण आदी कार्य आदेश जारी हुआ था। उक्त कार्य मेरी निगरानी मे सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा कराये गये एवं कार्य की मेपिगं कर मेपिंग पुस्तिका एवं कार्य के बिल मेरे समक्ष प्रस्तुत किये जिस पर 3640623, 2544720, 220774, 3137535, 2397980 3130208, 10522009, 1289402, 3517223 जो कुल 22708186 का भुगतान हो गया था एवं 4874977 रूपये का भुगतान शेष था इसी दोरान सरकार द्वारा थ्रर्ड पार्टी निरीक्षण सरकार द्वारा आवशयक रूप से लागु कर दिया जिसकी वजह से भुगतान नही हो सका। उक्त तीनो कार्या के तीनो बिल पास नही होने पर अधीशाषी अभियन्ता कार्यालय डूंगरपुर से थ्रर्ड पार्टी निरीक्षण ऐजेन्सी WAPCO LIMITED भारत सरकार का उपक्रम जल शक्ति मंत्रालय TPIA REGION उदयपुर को लिखा गया था लेकिन TPIA उक्त तीनो कार्य TPIA लागु होने के पूर्व के कार्य होने के कारण TPIA द्वारा थ्रर्ड पार्टी निरीक्षण करने से मना कर दिया जिसकी वजह से तीनो बिलो का भुगतान नही

हो सका इसी दौरान राज्य सरकार द्वारा पुरे राजस्थान में थ्रर्ड पार्टी निरीक्षण नियम लागु करने से पूर्व किये गये कार्यो के निरीक्षण एवं भुगतान के लिये अनिवार्यता में शिथिलता आदेश जारी किया गया। जिसमे बताया गया की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उदयपुर अपने स्तर पर ऐसे कार्यो का निरीक्षण एवं बिलो का निस्तारण करें। जिस पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उदयपुर द्वारा एक आदेश जारी कर अधीक्षण अभियन्ता डूंगरपुर अपने स्तर पर ऐसे कार्यो में अनिवार्यता में शिथिलता बरतते हुये निरीक्षण एवं बिलो का निस्तारण करने का आदेश किया था जिस पर अधीक्षण अभियन्ता श्री अनिल कछवाहा द्वारा एक टीम बनाई गई जिसमें मै, सहायक अभियन्ता कोशल कलाल, सहायक लेखाधिकारी धर्मेन्द्र दोसी को रखा गया। हम तीनो को सुरेचा कंस्ट्रक्शन के गांव पाल निठावा, गांव मियाला व टेकला ब्लॉक साबला के अन्तिम दोनो बिलो के कार्यो के निरीक्षण हेतु भेजा गया था जिस पर हमारे द्वारा मियाला व टेकला का निरीक्षण दिनांक 10.09.2024 को किया गया। उस समय हमारे साथ श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता भी उपस्थित थे उनके द्वारा निर्देश दिये गये थे जिनकी पालना में हमने निरीक्षण किया था एवं हमने 11.09.2024 को गांव पाल निठाउवा व टेकला, मियाला के बचे हुए कार्यो का निरीक्षण किया व दोनो गांवो की रिपोर्ट सहायक अभियन्ता विपिन व्यास, कनिष्ठ अभियन्ता महर्षि व्यास व सुरेचा कंस्ट्रक्शन के सुपर वाईजर नरेन्द्र तेली की उपस्थिति में तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता श्री अनिल कुमार कछवाह को प्रस्तुत की उक्त रिपोर्ट पर उनके द्वारा अपनी टिप्पणी कर आगे भिजवानी थी लेकिन उनके द्वारा आगे भेजी गई या नही भेजी गई मुझे कोई जानकारी नही है। सुरेचा कंस्ट्रक्शन गांव रिछा, मातलीया, माता फला ब्लॉक साबला के एक कार्य का बील पेण्डिग था। जो खण्ड कार्यालय में ऑडिटर के पास पेण्डिग था जिसने मेरे समक्ष पेश किया जो मेने दिनांक 16.12.2024 को अनिवार्यता में शिथिलता हेतु श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियन्ता डूंगरपुर को भेज दिया था। खण्ड कार्यालय का मेरे पास दिनांक 19.09.2024 से अतिरिक्त चार्ज है। समय 11.30 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वंत्रत गवाहान एवं आरोपी श्री अनिल कछवाहा के समक्ष आरोपी श्री अनिल कछवाहा हाल अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग, डूंगरपुर की परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली से दिनांक 09.12.2024, 10.12.2024, 11.12.2024, 12.12.2024 एवं 13.12.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 17.12.2024 को परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा हाल अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग, डूंगरपुर के मध्य रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई वार्ताओं, जिनकी मूल मेमोरी कार्ड जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्ड में हैं उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबुलाल से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर श्री मुलचन्द्र रोत पुत्र स्व. श्री रूपाजी रोत मीणा उम्र 54 वर्ष जाति मीणा निवासी बयोडा हिराता पुलिस थाना वरदा जिला डूंगरपुर हाल अधीशाषी अभियन्ता एवं तकनिकि सहायक वृत्त डूंगरपुर एवं अतिरिक्त प्रभार अधीशाषी अभियन्ता खण्ड डूंगरपुर को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्री मूलचंद रोत ने एक आवाज श्री अनिल कछवाहा हाल अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग, डूंगरपुर की होना बताया। श्री मूलचंद रोत ने बताया कि मैं कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जलदाय विभाग डूंगरपुर के अधिशाषी अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूँ। इसलिए मैं श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता की आवाज को पहचानता हूँ तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। फर्द आवाज पहचान मूर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री मूलचंद रोत को रूखसत किया गया। समय 12.25 एएम पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, क्षेत्र, उदयपुर को आरोपी श्री अनिल कछवाहा के सेवा विवरण संबंधी रिकॉर्ड हेतु पत्रांक 1358 दिनांक 18.12.2024 जारी किया। समय 12.30 एएम पर पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि ने दिनांक 10.12.2024 को समय करीब 10.59 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य कराई मोबाईल रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी के मोबाईल के स्पीकर को ऑन कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी, दिनांक 10.12.2024 को समय करीब 04.00 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी, दिनांक 10.12.2024 को समय करीब 05.44 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य कराई मोबाईल रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी के मोबाईल के स्पीकर को ऑन कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी एवं दिनांक 10.12.2024 को समय करीब 05.50 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री अनिल कछवाहा के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओं को बारी-बारी चलाकर सुनाई जाकर पृथक-पृथक से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता की होने की ताईद की। उक्त वार्ता में आरोपी श्री अनिल कछवाहा ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की होने की ताईद की। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अकब से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। समय 03.30 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि. ने दिनांक 11.12.2024 को समय करीब 10.02 एएम एवं दिनांक 11.12.2024 को समय करीब 11.38 एएम पर परिवादी श्री

नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताएं जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री अनिल कछवाहा के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओं को बारी-बारी चलाकर सुनाई जाकर पृथक-पृथक से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता की होने की ताईद की। उक्त वार्ता में आरोपी श्री अनिल कछवाहा ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की होने की ताईद की। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अकब से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। समय 02.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि ने दिनांक 12.12.2024 को समय करीब 10.16 एएम एवं दिनांक 12.12.2024 को समय करीब 01.07 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताएं जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री अनिल कछवाहा के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओं को बारी-बारी चलाकर सुनाई जाकर पृथक-पृथक से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता की होने की ताईद की। उक्त वार्ता में आरोपी श्री अनिल कछवाहा ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की होने की ताईद की। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अकब से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। समय 09.00 पीएम पर पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि ने दिनांक 13.12.2024 को समय करीब 08.58 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री अनिल कछवाहा के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर पृथक से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता की होने की ताईद की। उक्त वार्ता में आरोपी श्री अनिल कछवाहा ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की होने की ताईद की। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अकब से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। समय 11.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि ने दिनांक 17.12.2024 को समय करीब 02.02 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री अनिल कछवाहा के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर पृथक से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता की होने की ताईद की। उक्त वार्ता में आरोपी श्री अनिल कछवाहा ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली की होने की ताईद की। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता अकब से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। दिनांक 19-12-2024 समय 02.00 ए.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड MASTER MICRO कम्पनी का 8GB SDSC CARD के सरकारी लेपटॉप से श्री बाबुलाल कानि. से कनेक्ट करा दिनांक 09.12.2024 को समय 04.12 पीएम, दिनांक 10.12.2024 को समय 10.59 एएम, समय 04.00 पीएम, समय 05.44 पीएम, 05.50 पीएम, दिनांक 11.12.2024 को समय 10.02 एएम, समय 11.38 एएम, दिनांक 12.12.2024 को समय 10.16 एएम, समय 01.07 पीएम एवं दिनांक 13.12.2024 को समय 08.58 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ताए एवं दिनांक 17.12.2024 को समय 02.02 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा अन्य फाईले जिसमें काम सम्बंधी वार्ताए नही होने से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब नही की गई है, दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव SANDISK CRUZER BLADE 16 GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव SANDISK CRUZER BLADE 16 GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। जिसकी फर्द अकब से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.30 ए.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेपटॉप से श्री बाबुलाल कानि. से कनेक्ट करा दिनांक 09.12.2024 को समय 04.12 पीएम, दिनांक 10.12.2024 को समय 10.59 एएम, समय 04.00 पीएम, समय 05.44 पीएम, 05.50 पीएम, दिनांक 11.12.2024 को समय 10.02 एएम, समय

11.38 एएम, दिनांक 12.12.2024 को समय 10.16 एएम, समय 01.07 पीएम एवं दिनांक 13.12.2024 को समय 08.58 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ताए एवं दिनांक 17.12.2024 को समय 02.02 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली व आरोपी श्री अनिल कछवाहा के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा अन्य फाईले जिसमें काम सम्बंधी वार्ताए नही होने से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब नही की गई है, की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा सम्पूर्ण वार्ताओं की हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया जो MASTER MICRO कम्पनी का 8GB SDSC CARD है, उक्त मूल मेमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कवर मय मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया जाकर थैली पर एक सफेद कागज की चीट लगाकर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क M8 दिया जाकर जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। जिसकी फर्द अकब से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.00 ए.एम. पर आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता की दौराने ट्रेप कार्यवाही में कानि. श्री बाबुलाल के निजी मोबाईल में एक मेमोरी कार्ड SANDISK UTRA 32GB MICRO HDHC UHS-1 तक डलवाया जाकर दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त मोबाईल से ऑडियो/विडियोग्राफी करवाई गई। जिसमें पेशकशी, सुपुर्दगी, बरामदगी एवं खानातलाशी रिकॉर्ड की गई थीं। उक्त मोबाईल को सरकारी लेपटोप से कानि. श्री बाबुलाल से कनेक्ट करा SANDISK 16GB दो पेनड्राईव बनाये गये एक पेनड्राईव पर डब पेनड्राईव एवं दुसरे पर आईओ पेनड्राईव लिखा गया। तत्पश्चात् कानि. श्री बाबुलाल के निजी मोबाईल से मूल मेमोरी कोर्ड निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में वजह सबूत लिया जाकर नियमानुसार सिलचिट बन्द कर मार्क M32 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों पेनड्राईव को कवर में रखकर लिफाफे में सुरक्षित रखवाया गया। जिसकी फर्द अकब से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अनिल कछवाहा पिता श्री अर्जुनसिंह कछवाहा जाति जीनगर, उम्र 57 वर्ष निवासी 1-के-16, पोस्ट ऑफीस के पास महावीर नगर-3, जिला कोटा हाल अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग, डूंगरपुर को धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना की जाकर किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री फूलशंकर त्रिवेदी से लिवाई गई तो पहने हुए कपडो के अलावा अन्य कोई वस्तु/राशी बरामद नहीं हुई न ही कब्जे ब्यूरो ली गयी। आरोपी के पास एक मोबाईल जो वन प्लस कम्पनी का हो जिसमे एक सीम जीओ कम्पनी की जिस के नम्बर [redacted] पहनी हुई पेन्ट की जेब से 2320 रूपये दोराने कार्यवाही मीले। उक्त मोबाईल को चैक किया गया तो कोई संदिग्ध वार्ताए/विडियों नहीं मिले। मोबाईल एवं 2320 रूपये आरोपी के कहे अनुसार आरोपी पत्नी श्रीमती निशा कछवाहा को सुपुर्द किये गये। इस के अलावा आरोपी की जामा तलाशी में गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती निशा कछवाहा जो मौके पर उपस्थित हैं, को दी गई। समय 09.00 ए.एम. पर आरोपी श्री अनिल कछवाहा को भ्र.नि.ब्यूरो डूंगरपुर के पत्रांक 1359 एवं पत्रांक 1360 दिनांक 19.12.2024 द्वारा आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में दिया गया तो आरोपी ने इसी पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बाद में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। समय 09.30 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं श्री करण सिंह एएसआई व परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं आरोपी श्री अनिल कछवाहा के घटना स्थल भ्रात्र छाया आरोपी का किराये का मकान सिन्टेक्स रोड डूंगरपुर के लिए कार्यालय से जरिये सरकारी वाहन रवाना हुआ। समय 10.00 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं श्री करण सिंह एएसआई व परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली एवं आरोपी श्री अनिल कछवाहा के बाद निरीक्षण घटना स्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर घटना स्थल से मय हमराहियानों के जरिये सरकारी वाहन से रवाना हो कार्यालय में उपस्थित हुआ। फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 10.30 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री अनिल कछवाहा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवश्यक होने से ब्यूरो जाप्ता श्री करणसिंह स.उ.नि., श्री दीपक पाटीदार कानि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अनिल कछवाहा का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु राजकीय हरिदेव जोशी चिकित्सालय, डूंगरपुर के लिए हिदायतन रवाना किया गया। समय 11.10 ए.एम. पर श्री करणसिंह स.उ.नि., श्री दीपक पाटीदार कानि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अनिल कछवाहा का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय हरिदेवजोशी चिकित्सालय, डूंगरपुर से करा रवाना हो उपस्थित कार्यालय आये और परीक्षण रिपोर्ट मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिसे शामील पत्रावली की गई। समय 11.45 ए.एम. पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग डूंगरपुर से आवश्यक पूछताछ कर विस्तृत नोट अलग से मुर्तिब कर शामील पत्रावली किया गया। समय 12.45 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री अनिल कछवाहा में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को सुर्पद कर निर्देशित किया कि उक्त जप्तशुदा आर्टिकल को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री

नरेन्द्रकुमार तेली एवं सहपरिवादी श्री डूंगरलाल तेली को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किये गये। समय 01.15 ए.एम. पर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एवं श्री बाबुलाल कानि. व श्री दीपक पाटीदार कानि. आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता को सरकारी वाहन से जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किये गये। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार तेली पुत्र श्री भगवान लाल तेली, उम्र 36 वर्ष, जाति तेली, पेशा नोकरी, निवासी गांव घासाखेडी, पुलिस थाना घासा, तहसील घासा(मावली), जिला उदयपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे द्वारा जलदाय विभाग डूंगरपुर के वर्क ऑर्डर से वर्ष 2021-22 में सुरेचा कन्ट्रकशन ने वर्ष 2021-22 में जलदाय विभाग के JJM योजना के तहत ब्लोक साबला के विभिन्न गांवो में कार्य जैसे उच्च जलाशय, खुला कुआ निर्माण, पाईप लाईन बिछाना आदि का कार्य किया था। उक्त कार्या के करीब 2.50 करोड रूपयो के बिलो को तैयार करके भुगतान हेतु अधीशाषी अभियन्ता जलदाय विभाग खण्ड डूंगरपुर में पेश किये गये थे, जो करीब 2 वर्ष का समय पूरा होने के बावजुद भी बिलों का भुगतान आज तक नहीं हुआ हैं। उक्त बिलों को पास करने की एवज में जलदाय विभाग डूंगरपुर के अधीक्षण अभियंता श्री अनिल कछवाहा मेरे से 5,00,000 रूपये रिश्वत मांग रहे हैं। जिस पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता द्वारा 3,00,000/- रूपये लेने हेतु सहमत होते हुए 1,00,000/- रूपये ले लिये एवं बाकी के 2,00,000/- रूपये दिनांक 17.12.2024 को देने हेतु कहा। जिस पर ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्रकुमार तेली से 2,00,000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया हैं, जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं। श्री मूलचन्द्र रोत अधिशाषी अभियन्ता, श्री कौशल कलाल सहायक अभियन्ता एवं श्री धर्मेन्द्र दोसी सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग डूंगरपुर की भुमिका संदिग्ध है। अनुसंधान के दौरान इनकी भुमिका की जांच किया जाना उचित रहेगा। अत श्री अनिल कछवाहा पिता श्री अर्जुनसिंह कछवाहा जाति जीनगर, उम्र 57 वर्ष निवासी 1-के-16, पोस्ट ऑफीस के पास महावीर नगर-3, जिला कोटा हाल अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग, डूंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं। (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक, भ्र. नि. ब्युरो, डूंगरपुर.......कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) में आरोपी श्री अनिल कछवाहा पुत्र श्री अर्जुनसिंह कछवाहा जाति जीनगर, उम्र 57 वर्ष निवासी 1-के-16, पोस्ट ऑफीस के पास महावीर नगर-3, जिला कोटा हाल अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग, डूंगरपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनन्त कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 231 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1652-55 दिनांक 20-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2- संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANANT KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]2/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/04/1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)